

18<sup>12</sup>/<sub>23</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप।  
पत्रावली का अवलोकन किया। प्राची ने कदीमी  
रास्ता बाका पारित आदेश क्रमांक 100/कैम्प कोर्ट/  
2023/46 दिनांक 04-05-2023 को  
एकपक्षीय आदेश बनाए हुये उस आदेशको  
निरस्त कर प्राची को सुनकर नये सिरे से  
तहसोलदार वाली से जांच रिपोर्ट मंगवाने  
पुनः न्यायसंगत आदेश पारित किये जाते  
का निवेदन किया। प्राची ने आदेश दिनांक  
04-05-2023 के क्रिस्टल माननीय RAA  
पाली के न्यायालय में अपील संख्या

Note  
Noted  
Signature

58/2023 बअनवान भागुपतपसिंह वनाम  
कुलदीपसिंह वर्गेरा कर रखी है जिस  
अपील में इस न्यायालय की वर्जित फत्रावली  
तलब की जाने से न्यायालय फत्रक / केई  
2023/781 दिनांक 30-10-2023 से  
करोमी रासू बाबत पत्रित आदेश की  
मूल फत्रावली RAA पाली को भिजवाई जा  
चुकी है चूंकि प्रार्थना पत्र में वर्जित  
आदेश की अपील को जा चुकी है  
अपील होने से उक्त प्रार्थना पत्र का  
कोई औचित्य नहीं है इसी लक्ष्य की  
ध्यान में रखते हुए क्लेक प्रार्थी ने  
प्रकरण में Not Press करते हुए प्रार्थना  
पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। प्रकरण में वर्जित आदेश  
अपीलाधीन न्यायालय में विचारधीन होने  
से तथा क्लेक प्रार्थी द्वारा प्रकरण में Not  
Press करते से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज  
किया जाता है फत्रावली फॉसल शुभव दिसंबर  
नंबर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
पाली (जिला-पाली) राज